

## भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे

AO/CG/Admn-II/2019

28 मई, 2019

### अधिसूचना

#### विषय: अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की योजना

शासी मंडल ने 1 दिसंबर, 2018 को आयोजित अपनी 245 वीं बैठक में, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए नई नीति का अनुमोदन किया है, जो कि नियुक्ति की तिथि से विगत 5 वर्षों या जिस अवधि को अनुकंपा के लिए विचार किया जा सकता हो उस अवधि के दौरान होने वाली घटनाओं के आधार पर प्रयुक्त होगी (अर्थात् संस्थान के कर्मचारी की कार्यरत रहते हुए मृत्यु होने की परिस्थिति में या चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे ऐसे कर्मचारी के लिए प्रयुक्त होगी जिसका परिवार बिना किसी आजीविका के कठिनाई के दौर से गुजर रहा हो)। इन मामलों को 2020 से शुरू होने वाले हर वर्ष की 1 जनवरी को, समूह 'सी' पद में सीधी भर्ती के आधार पर होने वाली भर्तियों में 5% रिक्तियों को तत्काल भर्ती वर्ष (जनवरी से दिसंबर) में मानते हुए, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए मान्य किया जाएगा। नियमित नियुक्तियों के लिए पहले से ही सूचीबद्ध सक्षम आश्रितों का दावा नई नीति के अनुसार निपटाया जाएगा।

I. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए दिनांक 16.01.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या F.No.14014 / 02/2012-Estt। (D) द्वारा जारी समेकित अनुदेश और समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

II. संस्थान के मृतक कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों को निर्धारित प्रारूप (संलग्नक- I) में फॉर्म जमा कराना होगा।

III. रक्षा मंत्रालय के दिनांक 22 जनवरी, 2010 तथा 14 मई, 2010 के आईडी सं 19 (3) / 2009 / D (Lab) और 9 जनवरी, 2018 को दिए गए आदेश के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए नियमित पद पर अनुकंपा नियुक्ति उच्चतम स्कोर अर्जक को दी जाएगी।

• 100-अंकों के वेटेज सिस्टम को तय करने के लिए निम्नलिखित पैरामीटर / गुणता का अनुसरण करना होगा:

क) परिवार पेंशन की मात्रा: (20 अंक)

बी) टर्मिनल लाभ: (10 अंक)

ग) अन्य स्रोतों से परिवार की मासिक आय: (05 अंक)

घ) परिवार द्वारा आयोजित चल / अचल संपत्ति: (10 अंक)

ई) आश्रितों की संख्या: (15 अंक)

च) अविवाहित बेटियों की संख्या: (15 अंक)

छ) नाबालिग बच्चों की संख्या: (15 अंक)

ज) बची हुई सेवा: (10 अंक)

(क) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत प्राप्त मूल पारिवारिक पेंशन / मासिक राशि।

(20 पॉइंट्स)

6 वीं सीपीसी के अनुसार	7 वें सीपीसी के अनुसार	पॉइंट्स
3500 तक	9,000 रूपए तक	20
रूपए 3501 - 4500	रूपए 9,001 - 11,500 रूपए	18
रूपए 4501 - 5500	रूपए 11,501 - रूपए 14,000	16
रूपए 5501 - 6500	रूपए 14,101 - रूपए 16,500	14
रूपए 6501 - 7500	रूपए 16,501 - रूपए 19,000	12
रूपए 7501 - 8500	रूपए 19,101 - रूपए 21,500	10
रूपए 8501 - 9500	रूपए 21,501- रूपए 24,000	08
9501 और अधिक	रूपए 24,001- रूपए 26,500	06
----	रूपए 26,501- रूपए 29,000	04
----	रूपए 26,501- रूपए 31,500	02
----	रूपए 31,501 और उससे अधिक	00

(ख) संस्थान कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार द्वारा प्राप्त एकमुश्त राशि (अर्थात डीसीआर उपदान, भविष्य निधि/पीपीएफ खाता बैलेंस, छुट्टी नकदीकरण, सीजीईजीआईएस, एलआईसी/पीएलआई आदि)/एनपीएस आदि के तहत प्राप्त की गई एकमुश्त राशि (10 अंक)

6 वीं सीपीसी के अनुसार	7 वें सीपीसी के अनुसार	पॉइंट्स
रूपए 4,00,000 तक	रूपए 10,00,000 तक	10
रूपए 4,00,001 – 4,75,000	रूपए 10,00,001 – रूपए 11,87,500	09
रूपए 4,75,001 – 5,50,000	रूपए 11,87,501 – रूपए 13,75,000	08
रूपए 5,50,001 - 6,25,000	रूपए 13,75,001 – रूपए 15,62,500	07
रूपए 6,25,001 - 7,00,000	रूपए 15,62,501 – रूपए 17,50,000	06
रूपए 7,00,001 - 7,75,000	रूपए 17,50,001 – रूपए 19,37,500	05
रूपए 7,75,001 - 8,50,000	रूपए 19,37,501 – रूपए 21,25,000	04
रूपए 8,50,001 - 9,25,000	रूपए 21,25,001 – रूपए 23,12,500	03
रूपए 9,25,001 - 10,00,000	रूपए 23,12,501 – रूपए 25,00,000	02
रूपए 10,00,001 और अधिक	रूपए 25,00,001 – रूपए 26,87,500	01
---	रूपए 26,87,501 और उससे अधिक	00

(ग) चल / अचल संपत्ति के साथ-साथ परिवार के अन्य सदस्य (सदस्यों) द्वारा अर्जित वार्षिक आय से वार्षिक आय।

(05 पॉइंट्स)

6 ठी सीपीसी के अनुसार	7 वीं सीपीसी के अनुसार	पॉइंट्स
कोई आय नहीं	शून्य	05
रूपए 3,500 अथवा कम	रूपए 1 – रूपए 1,05,000	04
रूपए 3,501 – 4,500	रूपए 1,05,001 – रूपए 1,35,000	03
रूपए 4,501 – 5,500	रूपए 1,35,001 – रूपए 1,65,000	02
रूपए 5,001 – 6,500	रूपए 1,65,001 – रूपए 1,95,000	01
रूपए 6,501 और अधिक	रूपए 1,95,001 और अधिक	00

(घ) नियत अवधि जमा / बैंक बैलेंस आदि सहित परिवार (नवीनतम बाजार मूल्यों) की चल/अचल संपत्ति लेकिन उपरोक्त (बी) में प्राप्त एकमुश्त राशि को छोड़कर।

(10 पॉइंट्स)

6 ठी सीपीसी	पॉइंट्स	7 वीं सीपीसी के अनुसार	पॉइंट्स
शून्य	10	शून्य	10
रूपए 2,00,000 तक	08	रूपए 5,00,000 तक	08

रूपए 2,00,001- 4,00,000	06	रूपए 5,00,001 – रूपए 10,00,000	06
रूपए 4,00,001 - 7,00,000	03	रूपए 10,00,001 – रूपए 15,00,000	04
रूपए 7,00,001 और अधिक	01	रूपए 15,00,001 – रूपए 20,00,000	02
---	---	रूपए 20,00,001 और अधिक	00

(च) आश्रितों की संख्या

(15 पॉइंट्स)

1	5
2	10
3 और अधिक	15

(छ) अविवाहित पुत्रियों की संख्या

(15 पॉइंट्स)

कोई नहीं	0
1	5
2	10
3 और इससे अधिक	15

(ज) नाबालिग बच्चों की संख्या

(15 points)

कोई नहीं	0
1	5
2	10
3 और इससे अधिक	15

(झ) बची हुई सेवा

(10 points)

5 वर्ष तक	02
5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक	04
10 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष तक	06
15 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष तक	08
20 वर्ष से अधिक	10

(कुल 100 पॉइंट्स)

• अस्थायी आधार पर आश्रित की आगे की नियुक्ति 01.01.2019 से जारी नहीं रहेगी। मौजूदा अस्थायी कर्मचारी, यदि वे चाहें, तो वे अस्थायी असाइनमेंट पर सेवा जारी रख सकते हैं।

- संस्थान के मृतक कर्मचारियों के आश्रित, जिन्होंने नियमित पद पर दावा करने के लिए एक वर्ष के आधार पर समेकित वेतन पर अस्थायी पद पर नियुक्ति के लिए अपनी/उसकी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए अपने विकल्प का इस्तेमाल किया था, न तो वह/या परिवार का कोई सदस्य अनुकंपा के आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेगा।
- जहां कर्मचारियों की मेडिकल ग्रांड पर मृत्यु या सेवानिवृत्त पिछले 5 वर्षों में हुई (जनवरी से दिसंबर) है, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए अनुरोध पर केवल एक उचित अवधि होने पर ही विचार और समीक्षा की जाएगी।

आर. प्रेम कुमार  
कुलसचिव

**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई**

सेवा के दौरान मृत/ अशक्तता पेंशन पर सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के सरकारी आश्रितों के रोजगार के संबंध में प्रोफार्मा

**भाग - I**

I	अशक्तता पेंशन पर मृतक / सेवानिवृत्त कर्मचारी का विवरण		
(अ)	कर्मचारी का नाम		
(आ)	कर्मचारी का पदनाम		
(इ)	कर्मचारी के जन्म की तारीख		
(ई)	अशक्तता पेंशन पर मृत्यु / सेवानिवृत्ति की तारीख		
(उ)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित		
(ऊ)	अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए अनुरोध करने वाले आश्रित का विवरण		
II	अभ्यर्थी का नाम		
(अ)	कर्मचारी के साथ संबंध		
(आ)	जन्मतिथि		
(इ)	शैक्षिक योग्यता		
(ई)	क्या किसी अन्य आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया है		
(उ)	पत्राचार के लिए पता		
(ऊ)	संपर्क नंबर		
(ए)	अशक्तता पेंशन पर मृतक / सेवानिवृत्त कर्मचारी का विवरण		
		<b>राशि</b>	<b>पॉइंट्स</b>
III	वेटेज प्रणाली के मापदंड		
(अ)	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत मूल पारिवारिक पेंशन / मासिक राशि		
(आ)	सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को एकमुश्त राशि।		

(i)	डीसीआर उपदान		
(ii)	भविष्य निधि / पीपीएफ खाता शेष		
(iii)	छुट्टी नकदीकरण		
(iv)	सी जी ई जी आई एस		
(v)	एलआईसी / पीएलआई		
(vi)	एनपीएस के तहत प्राप्त एकमुश्त राशि		
	कुल अंक		
<b>(इ)</b>	वार्षिक आय		
(i)	चल संपत्ति से वार्षिक आय		
(ii)	अचल संपत्ति से वार्षिक आय		
(iii)	परिवार के अन्य सदस्य द्वारा वार्षिक आय		
	कुल अंक		
<b>(ई)</b>	अन्य संपत्तियां		
(i)	परिवार की चल संपत्ति (नवीनतम बाजार मूल्य)		
(ii)	परिवार की अचल संपत्ति (नवीनतम बाजार मूल्य)		
(iii)	नियत जमा / बैंक शेष आदि		
	कुल अंक		
<b>(उ)</b>	आश्रितों की संख्या		
<b>(ऊ)</b>	अविवाहित बेटियों की संख्या		
<b>(ए)</b>	नाबालिग बच्चों की संख्या		
<b>(ऐ)</b>	बची हुई सेवा (प्रशासन द्वारा भरा जाना है)		

#### **IV घोषणा/वचनबंध**

1. मैं इस वचनबंध की घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए तथ्य मेरी सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार सही हैं। यदि उल्लिखित कोई भी तथ्य भविष्य की किसी तारीख में गलत या अशुद्ध पाया जाता है, तो मेरी सेवा समाप्त की जा सकती है।
2. मैं इस वचनबंध की भी घोषणा करता हूँ कि मैं सरकारी कर्मचारी पर निर्भर परिवार के अन्य सदस्यों का ठीक से अनुरक्षण करूँगा और किसी भी समय यदि यह साबित होता है कि उक्त परिवार के सदस्यों की उपेक्षा हो रही है या मेरे द्वारा ठीक से रखरखाव नहीं किया जा रहा है, मेरी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

श्री / श्रीमती

मुझसे परिचित हैं

और मैंने ऊपर के अभ्यर्थी द्वारा उल्लिखित तथ्यों को सत्यापित किया है, तथा ये सही हैं।

दिनांक : \_\_\_\_\_

संस्थान के स्थायी कर्मचारी के हस्ताक्षर

नाम : \_\_\_\_\_

पदनाम : \_\_\_\_\_

विभाग : \_\_\_\_\_

**भाग - II**

I	क्या सीधी भर्ती के लिए भर्ती नियम प्रदान किए गए हैं ?	:	
II	अभ्यर्थी पद के लिए भर्ती नियम की आवश्यकता को पूरा करता है या नहीं।	:	
III	क्या पैरा- I में वर्णित तथ्य कार्यालय द्वारा सत्यापित किए गए हैं और यदि ऐसा है, तो रिकॉर्ड को इंगित करें।	:	
IV	कुल पॉइन्ट्स	:	